



2026:AHC-LKO:20832

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1720 / 2026

नरगिस सिंधु

आवेदक

बनाम

भारत संघ माध्यम से राजस्व खुफिया निदेशालय
लखनऊ
प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता
प्रतिवादी के अधिवक्ता

: कपिल कुमार यादव
: दिग्विजय नाथ दुबे

न्यायालय संख्या - 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा सुश्री जया पांडे, जिनके द्वारा राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के विद्वान अधिवक्ता श्री दिग्विजय नाथ दुबे का पक्ष रखा गया, को सुना और साथ ही अभिलेख (रिकॉर्ड) का अवलोकन किया।

अभियुक्त-आवेदक द्वारा वाद अपराध संख्या 16/2025, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/20/23, थाना डीआरआई, जिला लखनऊ, में जमानत की मांग की गयी है।

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार यह आरोप है कि दिनांक 01.12.2025 को रात्रि करीब 11:30 बजे, एक गुप्त जानकारी के आधार पर, आवेदक व सह-अभियुक्तगण, जो बैंकॉक से एयर एशिया की उड़ान संख्या एफडी146 से आ रहे थे, उन्हें रोका गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मौजूदा आवेदक की व्यक्तिगत तलाशी लेने पर, उसके पास से कुल 5168 ग्राम गांजा, चार पोटली (पैकेट) में बरामद हुआ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी कहा गया है कि कथित तलाशी हवाई अड्डे पर नहीं बल्कि डीआरआई कार्यालय, गोमती नगर में की गई थी, जो तलाशी की कार्रवाई को दूषित करता है। आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि कथित तौर पर बरामद की गई प्रतिबंधित सामग्री की मात्रा, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अनुसूची में बताई गई वाणिज्यिक मात्रा से कम है। यह भी कहा गया है कि चूंकि बरामद की गई प्रतिबंधित सामग्री, वाणिज्यिक मात्रा से कम है, इसलिए इस मामले में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 37 की सख्त शर्तें लागू नहीं होती हैं।

सह-अभियुक्त भावना को जमानत संख्या 964/2026 में पारित हुए दिनांक 25.2.2026 के आदेश के माध्यम से जमानत पर रिहा कर दिया गया है। आवेदक समानता (पैरिटी) का दावा करती है।

यह भी कहा गया है कि आवेदक दिनांक 02.12.2025 से कारागार में है और जमानत पर रिहा होने के बाद, उसके भागने या साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों के मुताबिक वे ऊपर बताये गए तथ्यों पर कोई सवाल नहीं उठा सके।

प्रस्तुत की गई दलीलों, अभिलेख (रिकॉर्ड) का अवलोकन तथा इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद कि स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 37 में दी गई सख्त शर्तें इस मामले में लागू नहीं होती हैं; और यह देखते हुए कि तलाशी हवाई अड्डे पर नहीं की गई थी; यह कि आवेदक दिनांक 02.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है; यह कि बरामद की गई मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कम है; यह कि

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है; ऊपर बताए गए सह-अभियुक्त को जमानत मिल चुकी है तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना, यह न्यायालय आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए इसे एक उपयुक्त मामला मानता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है, जिसमें समानता (पैरिटी) का आधार भी शामिल है।

ऊपर बताए गए प्राथमिकी / वाद अपराध संख्या में शामिल आवेदक नरगिस सिंधु को, ऊपर बताए गए वाद में संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि हेतु एक स्वीय बंधपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभुओं को देने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाये :-

- (i) आवेदक, अभियोजन के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी;
- (ii) आवेदक, अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं बनाएगी।
- (iii) आवेदक को विचारण न्यायालय द्वारा तय की गई हर तारीख पर उपस्थित रहना होगा।

अन्य कोई शर्त, जो विचारण न्यायालय/संबंधित न्यायालय मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त एवं उचित समझे, वह भी लगाई जा सकती हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां सिर्फ मौजूदा जमानत आवेदन तक ही सीमित हैं तथा विचारण (ट्रायल) के गुण-दोष पर इसका कोई असर नहीं रहेगा।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

23 मार्च, 2026

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।